

जिला



गजट

झारखण्ड

सत्यमेव जयते

सरकार

द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 02

रामगढ़ दिन : सोमवार
दिनांक 04.01.2016

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

अधिघोषणा

विषय सूची
अधिघोषणा

पृष्ठ संख्या 01

प्रपत्र VII

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 794/भू0अ0,

रामगढ़, दिनांक 29/12/2015

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा गोला चारु पथ के कि०मी० 3 में गोमती नदी पर उच्च स्तरीय पूल निर्माण हेतु ग्राम गोला, थाना गोला, थाना सं० 26, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में कुल 0.19 एकड़ यानि 0.0769 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.19 एकड़ यानि 0.0769 हेक्टेयर है, और जो ग्राम गोला, थाना गोला, थाना सं० 26, अंचल गोला, जिला रामगढ़ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)				
							उ०	द०	पू०	प०	
1	27	572 अंश	रैयती	कृषि	0.17	निहार रंजन, निरद कुमार, कुमार विशाल रंजन पिता लाल किशुन राम, गोला	1679	573	सड़क	572 अंश	
2	50	573 अंश	रैयती	कृषि	0.02	अंजनी कुमार कुशवाहा पिता स्व० रामलगन महतो	572	सड़क	सड़क	573 अंश	
कुल रकवा					0.19						

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

ह०/-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
रामगढ़।

ह०/-

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

ह०/-

उपायुक्त,
रामगढ़।